संख्या-14/2021/229/छप्पन-2021-153/2000

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 06 फरवरी, 2021

विषय: राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के 03 कंपोनेंट्स का 3000 घंटे पूर्ण होने पर ओवरहॉल कराए जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-502/CADUP/ENG(PUR)/UPO-04/2020 दिनांक 29 जनवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय बेल 412 ईपी, VT-UPO हेलीकाप्टर के 03 कंपोनेंट्स का 3000 घंटे पूर्ण होने पर ओवरहॉल M/s Able Component Aerospace Service Inc.,7706 Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. से कराए जाने हेतु फर्म से प्राप्त बजटरी कोटेशन के आधार पर यू0एस0डॉलर 86800.00 जो भारतीय मुद्रा में रूपए 78 प्रति यू0एस0 डॉलर के विनिमय दर से रूपए 67,70,400/- तथा उक्त धनराशि का भुगतान साख पत्र के माध्यम से किये जाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक में साख पत्र खोले जाने हेतु लेटर आफ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत की दर से रूपये 6,77,040.00 को सम्मिलित करते हुए बैंक चार्जेज सहित रूपये 74,47,440/- (रूपये चौहत्तर लाख सैंतालिस हजार चार सौ चालीस) मात्र तथा कम्पोनेन्ट के निर्यात एवं पुर्नआयात पर होने वाले अनुषांगिक व्यय ड्यूटी तथा फ्रेट हेतु रूपये 32,70,249/- को सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 1,07,17,689/- (रूपये एक करोड़ सात लाख सत्रह हजार छः सौ नवासी मात्र) की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 170/2020/1687/छप्पन-2020-153/2000 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा निर्गत की गयी थी। इस निर्गत वित्तीय स्वीकृति के संदर्भ में अवगत कराया गया है कि पुर्जों के Strip down inspection के उपरान्त फर्म द्वारा फाइनल कास्ट स्टीमेट संख्या-505299,505303,505366 दिनांक 22 जनवरी , 2021 के अनुसार (1) Transmission Assembly (Sl. No. A-696) की ओवरहाल की दर में यू0एस0 डॉलर 8780.70 की कमी हुई है तथा (2) Rotor Brake Quill (Sl. No. A-1969) एवं Main Drive Shaft (Sl. No. A-650) की दर में यू0एस0 डॉलर 11124.55 की बढ़ोत्तरी हुई है, इस प्रकार भुगतान किए जाने वाले कुल धनराशि पूर्व स्वीकृत धनराशि से यू0एस0 डॉलर 2343.85 अधिक है । अत: शासनादेश द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि यू0एस0डॉलर 86800.00 (भारतीय मुद्रा में रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर के विनिमय से रूपए 67,70,400/-) (लैटर ऑफ़ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत सहित 74,47,440/-) के सापेक्ष अब यू0एस0डॉलर 89143.85 (भारतीय मुद्रा में रूपए 78/- प्रति यू0एस0 डॉलर के विनिमय से रूपए 69,53,220/-) (लैटर ऑफ़ क्रेडिट मार्जिन 10 प्रतिशत सहित 76,48,542/-) का अग्रिम भुगतान किया जाना होगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अत: श्री राज्यपाल राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के 412 ईपी, VT-UPO हेलीकाप्टर के 03 कंपोनेंट्स का 3000 घंटे पूर्ण होने पर ओवर हॉल कार्य को M/s Able Component Aerospace Service Inc.,7706 Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A. से कराए जाने हेतु कुल रू0 रूपये 1,09,18,791/- (रूपये एक करोड़ नौ लाख अट्ठारह हजार सात सौ इक्यानबे मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या-70/2020/1687/छप्पन-2020-153/2000 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1,07,17,689/- (रूपये एक करोड़ सात लाख सत्रह हजार छः सौ नवासी) को घटाते हुए अवशेष अतिरिक्त धनराशि रू0 2,01,102/- (रूपए दो लाख एक हज़ार एक सौ दो मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दोनों कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए। प्रश्नगत धनराशि का व्यय किए जाने तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें शासनादेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यथावत् रहेंगी।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-7- 227/दस-2021 दिनांक 06 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 14/2021/229(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।